पत्र संख्या –26/विविध–06–20/2019–............................/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अमित कुमार, संवेदक के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन (दिनांक–06.04.2026) पर सुनवाई की गयी। अवलोकनोपरांत पाया गया कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत एकरारनामा सं0–01SBD/2018-19 दिनांक–15.10.2018 के तहत मनुषमारा नदी के पानी को बागमती नदी में गिराने एवं उसके तटबंधो के पुनर्स्थापित का कार्य एकरारनामा के पश्चात ससमय प्रारम्भ नहीं करने के आरोप के लिए उक्त एकरारनामा संख्या को विखंडित कर दिया गया एवं संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश सं0–772 दिनांक–02.03.2020 द्वारा संवेदक को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें लगाये गये आरोपो का खंडन करते हुए अनुरोध किया गया कि कालीकरण आदेश 772 दिनांक–02.03.2020 को रद्द किया जाय।

2. संचिका में उपलब्ध अभिलेखों/पत्रों से स्पष्ट होता है कि कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु बार–बार दिये गये निदेश एवं एकरारनामा विखंडित करने के नोटिस के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की दिशा में कोई अभिरूची नहीं ली गयी फलस्वरूप एकरारनामा के SBD Clause-3 के अंतर्गत उक्त एकरारनामा को विखंडित किया गया एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए संवेदक को कालीकृत किया गया। एकरारनामा विखंडन के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-14550/2019 दायर किया गया।

3. संवेदक द्वारा पूर्व में समर्पित अपील अभ्यावेदन (दिनांक–01.02.2021) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106 दिनांक–02.08.2021 द्वारा संवेदक द्वारा दायर CWJC No.-14550/2019 में न्याय निर्णय पारित होने तक कालीकण आदेश को सशर्त्त स्थगित करते हुए निस्पादित किया गया कि स्थगन आदेश माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा परंतु संवेदक द्वारा उक्त CWJC No.-14550/2019 को दिसम्बर 2022 में वापस ले लिया गया था ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106 दिनांक–02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश को स्थगित रखने संबंधी आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है एवं विभागीय आदेश सं0–772 दिनांक–02.03.2020 वर्तमान में प्रभावी है की सूचना विभागीय पत्रांक–1716 दिनांक–30.03.2026 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना को उनके पत्रांक–459 दिनांक–11.02.2026 के आलोक में दी गयी। संवेदक द्वारा CWJC No.-14550/2019 वापस लेने के लगभग 04 वर्षो के बाद एकरारनामा विखंडन के विरूद्ध पुनः फरवरी 2026 में CWJC No.-2975/2026 दायर किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

4. संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश के विरूद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अप्रैल 2026 में CWJC No.-6587/2026 दायर किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

चूँकि संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य/तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा एकरारनामा के पश्चात ससमय कार्य प्रारम्भ करने का समुचित प्रयास किया गया था।

अतएव विभागीय आदेश सं0-772 दिनांक-02.03.2020 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को यथावत रखते हुए संवेदक श्री अमित कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

19/06/26
(चंद्रशेखर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 26/विविध-06-20/2019 पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपिः- श्री अमित कुमार, मुहल्ला-विजयनगर, पोस्ट-लोहियानगर, थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना पिन कोड-800026 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-20/2019 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-20/2019 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः— 26 / विविध—06—20 / 2019 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः— मुख्य महाप्रबंधक, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको, पटना—800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः— 26 / विविध—06—20 / 2019 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः— 26 / विविध—06—20 / 2019 3442 पटना, दिनांक :19.06.2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।